छत्तीसगढ़ विधान सभा
की
अशोधित कार्यवाही

पंचम विधान सभा **प्रथम सत्र**

शुक्रवार, दिनांक 08 फरवरी, 2019

(माघ 19, शक सम्वत् 1940)

[अंक 06]

छत्तीसगढ़ विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 08 फरवरी, 2019

(माघ 19, शक संवत् 1940)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:00 बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरण दास महंत) पीठासीन हुए)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भी कार्यवाही 11 बजकर 20 सेकेण्ड में कार्यवाही प्रारंभ हो रही है। लगातार हो रहा है। आपके कार्यकाल में समय पर सदन की कार्यवाही शुरू नहीं हो रही है।

अध्यक्ष महोदय :- श्री टी0एस0 सिंहदेव जी।

समय

11:00 बजे **<u>पत्रों का पटल पर रखा जाना</u>**

<u>छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2018-2019</u>

आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री (श्री टी0एस0 सिंहदेव) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2018-2019 पटल पर रखता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी। (मेजों की थपथपाहट)

समय

11:00 बजे **<u>वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक का उपस्थापन</u>**

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय,

1. नवम्बर, 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने भारी बहुमत के साथ हमें जो जनादेश दिया था, उसके प्रति पुन: आभार व्यक्त करता हूँ। **बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय** की भावना के साथ, नई सरकार का प्रथम बजट मैं आज सदन में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जनता की गाढ़ी कमाई से एकत्र किए गए राजस्व की एक-एक पाई का उपयोग इस बजट के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता के भलाई के कामों में किया जायेगा।

2. विधान सभा चुनाव के समय हमने प्रदेश के किसानों से, माताओं और बहनों से, अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के सदस्यों से, तथा युवाओं और बच्चों से उनकी खुशहाली और तरक्की के वादे किये थे। हमने जन घोषणा-पत्र में किसानों का कर्जा माफ करने और कृषि उपज का उचित मूल्य देने का वादा किया था। हमारी सरकार ने शासन संभालते ही उन वादों पर अमल शुरू कर दिया है (मेजों की

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

थपथपाहट) और मुझे प्रसन्नता है कि इस बजट में भी उन सभी योजनाओं में समुचित प्रावधान किया गया है, जिनका सीधा लाभ प्रदेश के जरूरतमंद जनता और किसानों को मिलेगा।

3. महात्मा गांधी जी ने कहा था कि वास्तविक भारत गांवों में बसता है। यदि गांव नहीं बचे तो देश भी नहीं बचेगा। यह बात आज भी सार्थक प्रतीत होती है। छत्तीसगढ़ की 75 फीसदी आबादी गांव में निवास करती है और आज भी हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर आधारित है। कृषि और किसानों के विकास से ही हमारे गांव समृद्ध होंगे। इसी अवधारणा को लेकर हमारी सरकार का पहला बजट प्रदेश के किसानों और कृषि विकास के कार्यों पर केन्द्रित है। (मेजों की थपथपाहट) मानसून की अनिश्चितता एवं वर्षा आधारित कृषि ही हमारे प्रदेश में किसानों का भविष्य निर्धारित करती रही है। अधिकांश किसान खेती-किसानी का काम अल्पकालीन कृषि ऋण लेकर करते हैं। किन्तु समय पर वर्षा का पानी नहीं मिलने से फसलों का नुकसान तो झेलते ही हैं साथ ही कर्जा चुकाने का बोझ भी उन पर अलग से आता है।

4. कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग भारत सरकार के **किसानों की आय दोगुनी करने के विषय पर गठित** समिति की रिपोर्ट के वाल्यूम-दो में उल्लेख है कि वर्ष 2015-16 में अखिल भारतीय स्तर पर कृषक परिवार की अनुमानित औसत वार्षिक आय 96 हजार 703 रूपये की तुलना में छत्तीसगढ़ के कृषक परिवार की आय मात्र 64 हजार थी। समिति का यह भी आंकलन है कि छत्तीसगढ़ में धान की फसल से होने वाले आय में 2004-05 से 2008-09 की तुलना में 2009-10 से 2013-14 की अवधि में कमी आई है। विचाराधीन अवधि में धान की पैदावार में बढोत्तरी एवं उपार्जन मूल्य में वृद्धि के बावजूद किसान की आय में कमी का मुख्य कारण लागत मूल्य में वृद्धि होना है।

5. कृषि लागत मूल्य में कमी लाने के लिए हमारी सरकार ने पहला कदम उठाया है, किसानों को पुराने कर्जों के कुचक्र से मुक्ति दिलाने का । इसी उद्देश्य से हमारी सरकार ने ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंकों के 6 हजार 230 करोड़ के अल्पकालीन कृषि ऋण को माफ करने का निर्णय पिछले 17 दिसम्बर को लिया था (मेजों की थपथपाहट) और अब हमने सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों से लिए गए लगभग 4 हजार करोड़ के अल्पकालीन कृषि ऋणों को भी माफ करने का निर्णय लिया है । (मेजों की थपथपाहट) कृषि क्षेत्र की माफी के लिए तीसरे अनुपूरक बजट में हमारी सरकार ने 4 हजार 224 करोड़ की राशि का प्रावधान किया था और शेष राशि के लिए हमने इस बजट में भी समुचित प्रावधान किया है।

6. छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्य फसल धान है और हमारे राज्य को तो धान का कटोरा ही कहते थे, किन्तु पूर्व सरकार की नीतियों से धान की खेती किसानों के लिए घाटे का सौदा हो गई । किसानों को धान का लागत मूल्य निकालना मुश्किल हो गया और दिनों-दिन उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। इसीलिए हमने हमारे जन-घोषणा-पत्र में 2500 रूपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी का

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वादा किया था । हमने अपने वादे को पूरा भी किया और खरीफ 2018 के धान को हमने किसानों से 2500 रूपये की दर पर खरीदा है । (मेजों की थपथपाहट) आने वाले वर्षों में भी हम अपने वादे पर कायम हैं और वर्ष 2019-20 के बजट में भी 2500 रूपये क्विंटल की दर से धान खरीदने के लिए समुचित राशि का प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट)

7. बजट में जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान करने के साथ-साथ गैर जरूरी एवं प्रत्यक्ष लाभ न देने वाली योजनाओं के प्रावधानों में संशोधन पर भी विचार किया गया है । योजनाओं का समुचित परीक्षण करके हमने प्राथमिकता वाली योजनाओं के लिए अधिक वित्तीय संसाधन जुटाए हैं । साथ ही बजट घाटे को नियंत्रित रखने का भी युक्तियुक्त प्रयास किया है ।

8. **आर्थिक स्थिति**

8.1 अध्यक्ष महोदय, अब मैं राज्य की आर्थिक स्थिति का ब्यौरा सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं । वर्ष 2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार स्थिर दर पर वर्ष 2018-19 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 6.08 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है, जो इसी अवधि के लिए अनुमानित अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत की तुलना में कम है ।

8.2 वर्ष 2018-19 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर 3.8 प्रतिशत की वृद्धि के विरूद्ध राज्य में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में राज्य में औद्योगिक क्षेत्र में 5.4 प्रतिशत वृद्धि और सेवा क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर 7.3 प्रतिशत की वृद्धि के विरूद्ध राज्य में सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत अनुमानित है । इस प्रकार राज्य की औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र की अनुमानित वृद्धि दर राष्ट्रीय स्तर से कम रहना अनुमानित है ।

8.3 राज्य का सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित दर पर वर्ष 2017-18 में 2 लाख, 84 हजार करोड़ से बढ़कर 2018-19 में 3 लाख 12 हजार करोड़ होना अनुमानित है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 9.66 प्रतिशत अधिक है।

8.4 वर्ष 2018-19 में राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि क्षेत्र का योगदान 17.21 प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 47.17 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र का योगदान 35.63 प्रतिशत अनुमानित है ।

8.5 वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 25 हजार 397 रूपये अनुमानित है, जबकि इसी अवधि में राज्य में प्रति व्यक्ति आय 96 हजार 887 रूपये का अनुमान है । राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय में 11.1 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, जबकि राज्य स्तर पर वृद्धि 7.9 प्रतिशत अनुमानित है । इस प्रकार राज्य में प्रति व्यक्ति आय वृद्धि का प्रतिशत राष्ट्रीय स्तर की तुलना में केवल दो तिहाई के लगभग है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

9. अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास दर की तुलना में राज्य की आर्थिक विकास दर कम है, जिसमें बढ़ोतरी करने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं । हमें राज्य के आर्थिक विकास और लोगों की खुशहाली के लिए उपलब्ध संसाधनों का अधिक संवेदनशीलता के साथ बेहतर उपयोग और कड़ी मेहनत करने की जरूरत है । इस लोक कल्याणकारी बजट के माध्यम से हमारी सरकार कृषि क्षेत्र के साथ-साथ संपूर्ण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करने का प्रयास कर रही है ।

10. अध्यक्ष महोदय, इस बजट में हमने उन योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, जिनसे किसानों एवं अल्प आय वाले परिवारों को योजनाओं में प्रावधानित राशि का सीधा लाभ मिले । योजनाओं का पैसा सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में पहुंचे । चाहे वो पैसा ऋण माफी का हो या धान प्रोत्साहन का । पैसा किसान के हाथ में मिले ताकि वो अपनी इच्छा से अपने अधूरे सपने पूरा कर सके । अपनी मर्जी से अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य गढ़ सके । इस बजट में ऐसी योजनाओं के लिए राशि रखी गई है, जिनसे महिलाओं को सुरक्षा और आत्मनिर्भरता मिले तथा युवाओं और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले ।

11. अध्यक्ष महोदय, अब मैं इस बजट के कुछ महत्वपूर्ण एवं नये प्रावधानों के बारे में जानकारी देना चाहूंगा ।

11.1 किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए धान उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना में 2500 रूपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी हेतु 5000 करोड़ का प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट)

11.2 ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंकों के कृषि ऋण के साथ-साथ हमारी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों द्वारा बांटे गये, अल्पकालीन कृषि ऋण को भी माफ करने का फैसला लिया है । बजट में किसानों के कृषि ऋण माफ करने के लिए 5 हजार करोड़ का प्रावधान रखा गया है । (मेजों की थपथपाहट)

11.3 गरीब परिवारों को भरपेट भोजन की व्यवस्था के लिए हमारी सरकार ने प्रत्येक राशन कार्ड पर 35 किलो चावल देने का निर्णय लिया है । इसके लिए मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना में 4 हजार करोड़ का प्रावधान रखा गया है । (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं तो ध्यान से भाषण सुन रहा था, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी । आपने ऐसा कर दिया मुझको । गंगा जल आप चुहके थे । आपने जो गंगा जल पीया था, अल्पकालिक ऋण के लिए पीया था कि दीर्घकालिक ऋण के लिए पीया था । यह थोड़ा क्लियर कर दीजिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- नेता प्रतिपक्ष उधर बैठे हैं ।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- अभी भूत उतरा नहीं है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं सुन रहा था, उंगली तो आपने की ।

श्री शिवरतन शर्मा :- गंगा जल और भी कारणों से पीया जाता है ।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल :- अभी और झटका लगेगा । सुनिये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- गंगा जल के बारे में बता दीजिए, किस योजना के लिए आपने गंगा जल पी थी ?

श्री रविन्द्र चौबे :- अभी सुनो ।

11.4 घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल हाफ करने की दृष्टि से विद्युत देयकों में 400 यूनिट तक विद्युत व्यय-भार पर आधी छूट का लाभ सभी घरेलू उपभोक्ताओं को देने का निर्णय लिया गया है । इस छूट का लाभ 1 मार्च 2019 से दिया जायेगा और उपभोक्ताओं को अप्रैल माह में मिलने वाली बिजली बिल पर आधी छूट का लाभ मिलेगा । इसके लिए बजट में 400 करोड़ का नवीन मद में प्रावधान किया गया है ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अजय जी, थोड़ा सुनिये ।

11.5 जनप्रतिनिधियों को उनके विधान सभा क्षेत्र के विकास के लिए अधिक जवाबदेही के साथ काम करने का अवसर देने के उद्देश्य से विधायक निधि की राशि 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ करने का निर्णय लिया गया है । इसके लिए बजट में 182 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।

(मेजों की थपथपाहट)

11.6 पुलिस विभाग में जिला कार्यपालिक बल के आरक्षक से लेकर निरीक्षक स्तर तक के अमले को रिस्पांस भत्ता के लिए 45 करोड़ 84 लाख का प्रावधान किया गया है ।

11.7 प्रदेश में उत्पादित खाद्य पदार्थ फल-फूल, सब्जियों के प्रस्संकरण को प्रोत्साहित कर किसानों के लिए अधिक आय एवं रोजगार सृजन करने के उद्येश्य से प्रथमत: 5 नये फुड पार्क प्रारंभ करने के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।

11.8 आश्रम एवं छात्रावास में रहने वाले प्री-मैट्रिक स्तर के अनुसूचित जाति- जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शिष्यवृत्ति की राशि 900 रू. प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रूपये प्रतिमाह तथा पोस्ट मैट्रिक छात्रों के लिए भोजन सहायता की राशि 500 रू. प्रतिमाह से बढ़ाकर 700 रू. प्रतिमाह की गई है । इसके लिए 27 करोड़ 57 लाख का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है ।

11.9 स्कूलों में संचालित मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम में खाना बनाने वाली रसोईयों को1200 रूपये से बढ़ाकर 1500 रूपये प्रतिमाह मानदेय किया जायेगा। इसके लिए बजट में 26 करोड़ 59 लाख रूपये का अतिरिक्त प्रावधान है। (मेजों की थपथपाहट)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

11.10 वन्यप्राणियों द्वारा जनहानि होने पर क्षतिपूर्ति की राशि 4 लाख रूपये से बढ़ाकर 6 लाख रूपये करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए बजट में 35 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

11.11 गिरौधपुरी एवं भंडारपुरी में समन्वित विकास के लिए 5 करोड़ एवं दामाखेड़ा के समन्वित विकास के लिए 5 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

किसान कल्याण

12. खेती और किसानी के कार्य को राज्य में लाभकारी आजीविका के रूप में विकसित कर किसानों की खुशहाली लौटाना हमारी सरकार का पहला संकल्प है। इसके लिए काम के साथ साथ हमने विभाग के नाम को भी सही पहचान देने का प्रयास किया है। इसलिए कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर कृषि विकास, किसान कल्याण एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग करने का हमने निर्णय लिया है। किसानों के कल्याण की योजनाओं के लिए इस वर्ष 21597 करोड़ का कृषि बजट तैयार किया गया है जो गत वर्ष के कृषि बजट से डेढ़ गुना से भी अधिक है। (मेजों की थपथपाहट)

13. कर्जों के कुचक्र से किसानों को मुक्ति दिलाने हेतु ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंकों से बांटे गये ऋण के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों द्वारा बांटे गये लगभग 4 हजार करोड़ के अल्पकालीन कृषि ऋण को भी माफ करने का निर्णय लिया गया है इस प्रकार अब लगभग 10 हजार करोड़ के अल्पकालीन कृषि ऋण की माफी से प्रदेश के लगभग 20 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। इसमें 4 लाख ऐसे ऋणी किसान भी लाभान्वित होंगे जो बकाया धन चुकता नहीं कर पाने के कारण बैंकों से ऋण नहीं ले पा रहे थे और निजी साहूकार एवं सूदखोरों से कर्ज लेने को विवश थे। ऐसे किसान अब राज्य शासन के शून्य प्रतिशत ब्याज ऋण योजना में पुन: ग्रामीण अथवा सहकारी बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। कृषि ऋण की माफी के लिए बजट में 5 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

14. कृषि ऋण की माफी के साथ-साथ किसानों को राहत देने के लिए 207 करोड़ रूपये का बकाया सिंचाई कर भी माफ करने का सरकार ने निर्णय लिया है। जिससे 15 लाख किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। (मेजों की थपथपाहट)

15. खरीफ 2019 के लिए राज्य में 85 लाख टन धान खरीदी का अनुमान है। कृषकों से धान की खरीदी 2500 रूपये प्रति क्विंटल की दर से की जायेगी इसके लिए 5 हजार करोड़ रूपये का बजट में प्रावधान है। प्रदेश के 17 लाख से भी अधिक किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। (मेजों की थपथपाहट)

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

16. खरीफ वर्ष 2017 में लगभग 12 लाख किसानों को प्रोत्साहन राशि सहित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु 10597 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया था जबकि खरीफ 2018 के लिए भी 15 लाख 53 हजार किसानों को 19733 करोड़ रूपये का भुगतान किया जा रहा है। इस प्रकार खरीफ 2017 की तुलना में खरीफ 2018 में लगभग दुगुनी राशि का भुगतान किसानों को मिल रहा है। (मेजों की थपथपाहट)

17. सोयाबीन उत्पादन पर कृषकों को प्रोत्साहन देने के लिए 10 करोड़ एवं गन्ना बोनस के लिए 50 करोड़ रूपये का प्रावधान है। (मेजों की थपथपाहट)

18. समर्थन मूल्य पर दलहन एवं तिलहन की भी खरीदी करने के नवीन मदों में 7 करोड़ 12 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

19. वर्तमान में 26 जिलों में 257 उपार्जन केन्द्रों पर मक्का खरीदी 1700 रूपये की दर से की जा रही है। मक्का खरीदी की व्यवस्था को और पुख्ता किया जायेगा।(मेजों की थपथपाहट)

20. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 316 करोड़, एकीकृत बागवानी विकास मिशन में 205 करोड़, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 359 करोड़, टार्गेटेड राईस फेलो एरिया में 95 करोड़, कृषक समग्र विकास योजना में 77 करोड़ एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में 120 करोड़ का बजट प्रावधान है। (मेजों की थपथपाहट)

21. एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन के लिए 200 करोड़, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 74 करोड़ तथा माईक्रो माईनर सिंचाई योजना में 25 करोड़ का प्रावधान है।

22. 5 एचपी तक के कृषि पंपों को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय हेतु 2 हजार 164 करोड़ का बजट है। (मेजों की थपथपाहट) नये कृषि पंपों के ऊर्जीकरण हेतु 100 करोड़ का प्रावधान है।

23. सौर ऊर्जा के सहयोग से सिंचाई हेतु 20 हजार नये सोलर पंम्पों की स्थापना हेतु 467 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

24. नवीन सिंचाई परियोजनाओं के लिए 300 करोड़, महानदी-परियोजना के लिए 216 करोड़, अरपा-भैसाझार परियोजना के लिए 127 करोड़, लघु-सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण हेतु 524 करोड़ एवं कमाण्ड-क्षेत्र में सिंचाई की पूर्ति हेतु 116 करोड़ का बजट प्रावधान है।

25. ग्राम मर्रा, जिला दुर्ग एवं साजा, जिला बेमेतरा में नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापना हेतु 1 करोड़ का प्रावधान है।

26. उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी। इसका डीपीआर तैयार करने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

27. पशुपालन के माध्यम से आय वृद्धि हेतु डेयरी उद्यमिता विकास योजना में 15 करोड़ 12 लाख, मुर्गी पालन हेतु 21 करोड़, बकरी पालन हेतु 4 करोड़ 34 लाख तथा सूकर पालन हेतु 4 करोड़ 49 लाख के बजट का प्रावधान है।

28. 20 नवीन पशु औषधालय की स्थापना एवं महासमुंद, जगदलपुर एवं सूरजपुर में रिजनल फर्स्ट-एड ट्रेनिंग सेंटर फॉर एनिमल हेल्थ की स्थापना हेतु 2 करोड़ का नवीन मद में प्रावधान है।

ग्राम विकास एवं ग्रामीण आजीविका

29. ग्रामों को, मूलभूत सुविधाओं से युक्त स्वच्छ, सुंदर, सुघड़ एवं ग्रामवासियों को उनकी क्षमता और अभिरूचि के अनुरूप आजीविका के अवसर देने वाले ग्रामों के रूप में विकसित करना हमारी सरकार की परिकल्पना है।

30. इस परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रत्येक ग्राम की मूलभूत जानकारी का संकलन कर विकास का आगामी रोडमैप तैयार किया जाएगा। ग्राम की मूलभूत जानकारी होने से स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप योजना तैयार करने में सुगमता होगी। अतः सर्वप्रथम प्रत्येक ग्राम का सर्वे कर जानकारी एकत्र करने के लिए नवीन मद में 97 लाख का प्रावधान किया गया है।

31. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु हमारी सरकार द्वारा **सुराजी गांव योजना** शुरू की जायेगी। **छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी, नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी एला बचाना है संगवारी** का नारा हमने दिया है। अब नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी के संरक्षण हेतु हर गांव में विभिन्न योजनाओं के अभिसरण से काम शुरू किया जायेगा।

नरवा: प्रत्येक गांव में जल स्रोतों, नालों के उद्गम स्थल से शुरूआत करते हुए जल संचयन एवं संवर्धन हेतु आवश्यकतानुसार कच्ची पक्की संरचनाओं का निर्माण वैज्ञानिक पद्धति से किया जाएगा। गांव के तालाबों को सोलर पम्प एवं पाइपलाइन से भरा जायेगा। वर्तमान नदी-नालों एवं तालाबों का संधारण, जीर्णोद्धार एवं गाद हटाने की कार्यवाही की जायेगी। इससे भूगर्भ-जल के स्तर में वृद्धि होकर जल स्त्रोतों में बारहमासी पानी का बहाव होगा तथा दो फसलों के उत्पादन में मदद मिलेगी।

गरूआ: हर गांव में 3 एकड़ भूमि का चयन कर पशुओं के लिए **गौठान** बनाया जायेगा। गौठान में पशुओं के बैठने के लिए प्लेटफार्म एवं शेड का निर्माण, पीने के पानी की व्यवस्था तथा दुग्ध संग्रहण केन्द्र बनाये जायेंगे। गौठानों में कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण एवं बधियाकरण की सुविधाएं दी जाएंगी। इससे दुधारू पशुओं की नस्ल में सुधार एवं दूध के उत्पादन में वृद्धि होगी।

घुरूवा:- गौठान में सामुदायिक आधार पर बायोगैस प्लांट, कम्पोस्ट इकाईयां एवं चारा विकास केन्द्र बनाये जायेंगे। इससे कम लागत में अधिक फसल उत्पादन व ऊर्जा उत्पादन का लाभ मिलेगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बाड़ी:- हर घर में उद्यानिकी फसलों तथा सब्जियों के उत्पादन के लिए बाड़ी को प्रोत्साहित किया जायेगा। नदी-नालों के किनारे भी फलदार वृक्षों का रोपण किया जायेगा। इससे ग्रामीणों को पोषण आहार के अलावा नगद आमदनी में वृद्धि का भी लाभ मिलेगा।

32. गोबर गैस प्लान्ट एवं कम्पोस्ट इकाईयों के निर्माण, संधारण एवं संचालन हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया जाकर प्रत्येक ग्राम से 10 युवाओं को प्रशिक्षित किया जायेगा। उक्त कार्य के लिए कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण मद में उपलब्ध राशि का उपयोग किया जायेगा। प्रशिक्षण उपरांत लगभग 2 लाख युवाओं को इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त हो सकेगा। (मेजों की थपथपाहट)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपने बजट तो कितना रखा है ? बजट की व्यवस्था नहीं की तो ये चारों काम कहॉ से होगा ?

श्री भूपेश बघेल :- आईये-आईये, देखते जाईये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं। अभी आपने बताया कि ये चार काम होंगे। इन चारों काम के लिए बजट की कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये चारों काम कहॉ से होगा ?

श्री भूपेश बघेल :- आप सुनते जाईये। आप धैर्य तो रखिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- धैर्य नहीं। आप आगे बढ़ गए।

श्री भूपेश बघेल :- आप सुनते जाईये।

33. भूमिहीन मजदूरों एवं लघु सीमांत कृषकों को रोजगार देने के साथ-साथ नरवा, गरुवा, घुरुवा, बाड़ी के संरक्षण के लिए विभिन्न विभागों की योजनाओं का मनरेगा से अभिसरण करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध करने का कार्य किया जाएगा। इसके लिए मनरेगा योजना में राज्य बजट से 1 हजार 542 करोड़ का प्रावधान है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अब समझ में आया ?

श्री भूपेश बघेल :- मनरेगा को कृषि से जोड़ने का काम...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आदरणीय भूपेश भईया, आप बताईये कि कहां से करेंगे?

श्री अजय चन्द्राकर :- मनरेगा में तो स्टेट के लिए हमेशा प्रावधान रहता है।

श्री भूपेश बघेल :- हमने बढ़ाया है, आपकी तरह नहीं है।

34. अल्प शिक्षित ग्रामीणों सहित सभी युवाओं को रोजगार कौशल से प्रशिक्षित करने हेतु कौशल विकास योजनाओं में 135 करोड़, 50 लाख का प्रावधान है। (मेजों की थपथपाहट)

35. ग्रामीण महिलाओं को स्व-सहायता समूहों के रूप में संगठित कर रोजगार दिलाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 306 करोड़ का प्रावधान है।

36. ग्राम पंचायतों में मूलभूत कार्यों हेतु अनुदान के लिए 210 करोड़ तथा मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना में 200 करोड़ का प्रावधान है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- साहब, आपने कटौती कर दी है।

श्री भूपेश बघेल :-

37. बीपीएल ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल के लिए नि:शुल्क घरेलू कनेक्शन देने हेतु नवीन मिनीमाता अमृत नल-जल योजना में 10 करोड़ का प्रावधान है।

श्री शिवरतन शर्मा :- 500 से 200 में आ गये।

श्री भूपेश बघेल :-

38. माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण बसाहटों को बारह-मासी सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 1 हजार, 565 करोड़ और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 238 करोड़ का प्रावधान है। (मेजों की थपथपाहट)

39. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता एवं सूखा-गीला कचरा निकासी एवं प्रबंधन की योजनाओं के लिए स्वच्छ भारत अभियान में 450 करोड़ का प्रावधान है।

40. आवासहीन ग्रामीण परिवारों के आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 1 हजार 723 करोड़ का प्रावधान है।

<u>खाद्य-पोषण तथा महिला एवं बाल विकास</u>

41. अध्यक्ष महोदय, कुपोषण से मुक्ति एवं खाद्यान्न सुरक्षा प्रावधान करने के लिए हमारी सरकार ने गरीब परिवारों को प्रति राशन कार्ड 35 किलो चावल वितरित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना में 4 हजार करोड़ का बजट प्रावधान है। (मेजों की थपथपाहट)

42. बच्चों में कुपोषण की दर में कमी लाने के लिए एकीकृत बाल विकास योजना एवं पूरक पोषण आहार योजना में 1 हजार, 340 करोड़ का प्रावधान है।

43. किशोरी बालिकाओं के पोषण एवं लाईफ-स्किल ज्ञान के लिए 37 करोड़ एवं गर्भवती माताओं के पोषण आहार हेतु महतारी जतन योजना में 24 करोड़ का प्रावधान है।

44. आंगनबाड़ी को नर्सरी के रूप में विकसित कर बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा ज्ञान देने के लिए ई.सी.सी.ई. योजना में 15 करोड़ का बजट प्रावधान है।

45. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में प्रदाय अनुदान राशि को 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार करने का निर्णय लिया गया है। (मेजों की थपथपाहट) इसके लिए बजट में 19 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

46. कामकाजी महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक संभाग में एक कामकाजी महिला आवास गृह बनाने का प्रस्ताव है। इसके लिए बजट में 6 करोड़, 75 लाख का प्रावधान है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

<u>शिक्षा एवं समाज कल्याण</u>

47. प्रदेश में नये शैक्षणिक संस्थान खोलने एवं शैक्षणिक अधोसंरचना निर्माण करने के साथ-साथ शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए नये कदम उठाये जायेंगे। शिक्षा गुणवत्ता के स्तर में सुधार के लिए मॉनिटरिंग कार्य में संलग्न अमले की री-इंजीनियरिंग किया जाकर इसे और प्रभावी बनाया जायेगा।

48. 25 हाई-स्कूलों को हायर-सेकेन्डरी स्कूलों में तथा 25 पूर्व माध्यमिक शालाओं का हाई-स्कूल में उन्नयन किया जायेगा।

49. 40 प्राथमिक शाला, 25 पूर्व माध्यमिक शाला तथा 100 हाई-स्कूल एवं 50 हायर-सेकेन्डरी स्कूल भवनों का निर्माण किया जायेगा। इन कामों के लिए बजट में 34 करोड़, 50 लाख का प्रावधान किया गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- पहला पूंजीगत व्यय 34 करोड़ रूपये का आया। पूरा बजट गांव, गरूवा, घुरूआ, बाड़ी एक मात्र योजना। बाकी सब गोल। पूरा गोल।

श्री भूपेश बघेल :-

50. अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों के लिए लंबे समय से निर्माणाधीन एवं अपूर्ण आश्रम एवं छात्रावास के भवनों का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण किया जायेगा। इसके लिए 50 करोड़ की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है।

51. प्री-मैट्रिक छात्रावास आश्रमों के लिए शिष्यवृत्ति की दर एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रावासों के लिए छात्र भोजन सहायता की दर में वृद्धि की जायेगी। इसके लिए बजट में 27 करोड़ 57 लाख का अतिरिक्त प्रावधान रखा गया है।

52. अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के बालिका छात्रावासों में सुरक्षा के लिए 75 महिला गार्ड रूम, 62 अधीक्षिका आवास गृह, 75 टॉयलेट एवं 25 बाउण्ड्री वाल का निर्माण किया जायेगा। इसके लिए 13 करोड़ 39 लाख का बजट में प्रावधान किया गया है।

53. जिला बालोद में महिला महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी। 25 महाविद्यालयों में नवीन संकाय एवं 25 महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जायेंगे। इसके लिए बजट में 10 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। (मेजों की थपथपाहट)

54. महाविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों एवं बेरोजगार अभ्यर्थियों के हितों को देखते हुए हमने महाविद्यालयों में 27 विषयों में रिक्त सहायक प्राध्यापकों के 1 हजार 384 पदों पर भर्ती करने का फैसला किया है।(मेजों की थपथपाहट) भर्ती हेतु विज्ञापन प्रसारित कर अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र भी प्राप्त किये जा चुके हैं।

55. राज्य शासन में होने वाली भर्ती प्रक्रियाओं में राज्य के मूल निवासियों को 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट को आगामी 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है।(मेजों की थपथपाहट)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

56. खेल-कूद में खिलाड़ियों की पहचान एवं प्रतिभा निखारने के लिए प्रत्येक संभाग में 11 प्रशिक्षकों के मान से 55 खेल प्रशिक्षकों के पद स्वीकृत किये जायेंगे। (मेजों की थपथपाहट)

57. विकासखंड बतौली, जिला सरगुजा तथा विकासखंड दुलदुला एवं मनोरा, जिला जशपुर में नवीन आई.टी.आई. खोले जायेंगे।(मेजों की थपथपाहट)

58. 33 पुराने आई.टी.आई. में नवीन ट्रेड की पढ़ाई शुरू की जायेगी।

59. 5 लाईवलीहुड कॉलेज में कन्या छात्रावास का निर्माण किया जायेगा।

60. दिव्यांगजनों को विवाह के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख की जायेगी। (मेजों की थपथपाहट)

61. बौद्धिक मंदता के कारण मानसिक रूप से नि:शक्त 18 वर्ष से अधिक आयु वालों को आजीवन आश्रय एवं सुधारात्मक उपचार की सुविधा हेतु बालोद जिले में **घरौंदा केन्द्र** की स्थापना की जायेगी।

62. जिला रायपुर एवं बालोद में नि:शक्तजन पुनर्वास केन्द्र की स्थापना की जायेगी।

63. नशापान की कुरीति को समाप्त करने के लिये नयी योजना प्रारंभ की जायेगी। इसके तहत जन जागरण अभियान चलाकर नशाबंदी के लिए सर्व सहमति का वातावरण बनाया जायेगा।

64. मदिरा की अवैध बिक्री की रोकथाम हेतु सरगुजा एवं दुर्ग में नवीन संभागीय उड़नदस्तों का गठन किया जायेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- लेकिन आपके मेनफेस्टो में तो पूर्ण शराबबंदी है, आम सहमति बनाने की तो बात ही नहीं थी। आप पूर्ण शराबबंदी की घोषणा करिये।

श्री भूपेश बघेल :- अभी आप बैठिये।

<u>**स्वास्थ्य सुविधाएं**</u>

65. स्वास्थ्य के क्षेत्र में संचालित योजनाओं एवं अस्पतालों की व्यवस्था का हमने परीक्षण किया है। हमारा मानना है प्रदेश में वर्तमान में लागू स्वास्थ्य योजनाओं के प्रावधान एवं परिणाम संतोषप्रद नहीं हैं। यूनिवर्सल हेल्थ केयर की अवधारणा के अनुरूप आगामी वर्ष से बेहतर व्यवस्था वाली स्वास्थ्य योजनाओं को लागू किया जायेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकता अधोसंरचना निर्माण से आगे बढ़ते हुए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। शासकीय अस्पतालों में साफ-स्वच्छ वातावरण, चिकित्सकों, नर्सों एवं पैरामेडिक कर्मचारियों की उपलब्धता तथा मल्टीस्पेश्लिटी उपचार की व्यवस्था आम जनता को सुलभ कराने का प्रयास किया जायेगा।

66. राज्य के सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सफाई व्यवस्था हेतु 15 करोड़ की अतिरिक्त राशि का बजट में प्रावधान किया गया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

67. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 24 घंटे चिकित्सा सुविधा हेतु स्टॉफ नर्सों के 242 पदों तथा 100 बिस्तर नवीन जिला चिकित्सालय सरगुजा की स्थापना हेतु 135 पदों के सृजन के लिए बजट में कुल 7 करोड़ 26 लाख का प्रावधान है।

68. 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 25 उप स्वास्थ्य केन्द तथा जिला चिकित्सालय गरियाबंद के 100 बिस्तर अस्पताल के भवनों का निर्माण किया जायेगा। इसके लिए बजट में 6 करोड़ 10 लाख का प्रावधान है।

69. चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर एवं जगदलपुर में मल्टी सुपरस्पेशिलटी चिकित्सालय की स्थापना की जायेगी । इसके लिए बजट में 22 करोड़ का प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट)

70. जिला चिकित्सालय जगदलपुर एवं रायगढ़ में ट्रामा यूनिट एवं बिलासपुर में बर्न यूनिट की स्थापना की जायेगी । इसके लिये 6 करोड़ 80 लाख का प्रावधान बजट में किया गया है ।

71. चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में 25 पीजी सीट का उन्नयन किया जायेगा । इसका लाभ स्नात्कोत्तर करने के इच्छुक चिकित्सकों को मिलेगा तथा प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता में वृद्धि होगी ।

<u>अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण</u>

72. असमानता को खत्म कर समावेशी विकास की अवधारणा हमारी सरकार का मूल मंत्र है । प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों का राज्य के नैसर्गिक संसाधनों एवं विकास के लाभ में बराबरी का हक है ।

73. अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिये 15 हजार 989 करोड़ एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के लिये 5 हजार 485 करोड़ का बजट में प्रावधान रखा गया है । (मेजों की थपथपाहट)

74. जमीन और जंगल ही हमारे आदिवासी भाईयों की पहचान है । ये दोनों ही एक-दूसरे के पूरक हैं । जमीन और जंगल हमारे आदिवासी भाईयों के अन्नदाता हैं तो आदिवासी भाई जमीन और जंगल के सबसे बड़े संरक्षक और जन्मदाता हैं । लोहांडीगुड़ा क्षेत्र की टाटा द्वारा अधिग्रहित आदिवासियों की 1 हजार 764 हेक्टेयर जमीन उन्हें वापिस लौटाकर हमने उनके अधिकारों का संरक्षण किया है । (मेजों की थपथपाहट)

75. सरकार ने वन भूमि का अधिकार पत्र देने का कानून बनाया है । वन भूमि पर अपना हक पाने के लिये लाखों आदिवासियों ने आवेदन दिया था जो पूर्व में विभिन्न कारणों से निरस्त कर दिये गये थे। निरस्त आवेदन पत्रों की समीक्षा करने के बाद हमने अधिनियम के प्रावधानों को ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू करने का निश्चय किया है । इसलिए सभी निरस्त वन अधिकार पत्रों की पुन: जांच करने का भी हमने निर्णय लिया है । (मेजों की थपथपाहट)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

76. वनवासी ग्रामीणों की आजीविका का बड़ा हिस्सा लघु वनोपजों के संग्रहण पर आधारित है । इसीलिए हमारी सरकार ने तेंदू पत्ता संग्रहण का पारिश्रमिक भी 2500 रूपये से बढ़ाकर 4000 रूपये प्रति बोरा करने का निर्णय लिया है । (मेजों की थपथपाहट)

77. लघु वनोपज संघ के द्वारा वर्तमान में साल बीज, हर्रा, इमली, चिरौंजी, महुआ बीज, कुसमी लाख एवं रंगीनी लाख का संग्रहण न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया जाता है । इन 7 वनोपज के अतिरिक्त अब कुलु गोंद, नागर मोथा, शहद, बेहड़ा, बेल का गूदा, कालमेघ, फूलझाड़ू तथा पुवाड़ बीज सहित कुल 15 वनोपजों का संग्रहण अब समर्थन मूल्य पर किया जायेगा । (मेजों की थपथपाहट)

78. हमारी सरकार की मंशा आदिवासी भाईयों को केवल सरकारी योजनाओं का पैकेज देकर विकास करने तक सीमित नहीं है बल्कि हम तो इन्हें स्वयं के लिये निर्णय लेने का अधिकार देना चाहते हैं । इस परिकल्पना को साकार करने के लिये हमने बस्तर एवं सरगुजा विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता का काम हमारे स्थानीय आदिवासी विधायकों को सौंपने का निर्णय लिया है । (मेजों की थपथपाहट)

<u>पेयजल</u>

79. हमारी सरकार की प्राथमिकता नगरीय एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में गुणवत्तायुक्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की रहेगी।

80. नगरीय क्षेत्रों में प्रदाय पेयजल की गुणवत्ता परीक्षण के लिये सभी संभागों में प्रयोगशाला स्थापित की जायेगी । इसके लिये बजट में 11 करोड़ का प्रावधान किया गया है । नवीन नगरीय जल प्रदाय योजना में 78 करोड़ 40 लाख तथा नवीन नगरीय आवर्धन जल प्रदाय योजना में 50 करोड़ 94 लाख का प्रावधान है ।

81. ग्रामीण पेयजल व्यवस्था हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में 180 करोड़, पाईप द्वारा जल प्रदाय योजना में 185 करोड़ तथा ग्रामों में पेयजल प्रदाय योजना में 65 करोड़ 50 लाख का बजट प्रावधान किया गया है । (मेजों की थपथपाहट)

82. ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल उपभोक्ताओं को नि:शुल्क घरेलू जल कनेक्शन देने के लिये मिनीमाता अमृत नल-जल योजना शुरू की जायेगी । योजना के तहत् 5 लाख 30 हजार ग्रामीण बीपीएल परिवारों को घरेलू कनेक्शन देने का लक्ष्य है । इसके लिए बजट में 10 करोड़ का प्रावधान है ।

83. मेला, प्रदर्शनी इत्यादि स्थलों पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए रायपुर, बिलासपुर एवं बस्तर संभाग के लिए मुख्यमंत्री चलित संयंत्र पेयजल योजना तथा साजा, जिला दुर्ग में विभागीय वाटर फिल्टर प्लांट के माध्यम से पैकेज्ड पेयजल वितरण के लिए राजीव गांधी सर्वजल योजना शुरू की जाएगी । इनके लिए क्रमश: 5 करोड़ एवं 2 करोड़ का प्रावधान है (मेजो की थपथपाहट) ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

84. नाबार्ड पोषित योजना के तहत गिरौदपुरी जिला बलौदाबाजार के लिए, गिरौदपुरी सामूहिक नल जल योजना प्रस्तावित है । इसके लिए बजट में 5 करोड़ का प्रावधान है (मेजो की थपथपाहट)।

85. पानी के कारण ग्राम सुपेबेड़ा जिला गरियाबंद के ग्रामीणों को होने वाली बीमारी से रोकथाम हेतु **सुपेबेड़ा जल प्रदाय योजना** शुरू की जाएगी । इसके लिए बजट में दो करोड़ का प्रावधान है ।(मेजो की थपथपाहट) ।

ऊर्जा तथा नगरीय प्रशासन विकास

86. घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने का निर्णय लिया है । इसके तहत विद्युत देयकों में 400 यूनिट तक विद्युत व्यय भार पर आधी छूट का लाभ सभी घरेलू उपभोक्ताओं को दिया जाएगा । इसके लिए ऊर्जा विभाग के बजट में 400 करोड़ के नवीन मद का प्रावधान किया गया है । (मेजो की थपथपाहट)

87. औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति व्यवधान की स्थिति में आटोमेटिक रीस्टोरेशन की आवश्यकता को देखते हुए रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर औद्योगिक क्षेत्र में 50 करोड़ की लागत से **स्काडा** की स्थापना हेतु नवीन मद में 5 करोड़ का प्रावधान है ।

88. चार शहरों में स्मार्ट मीटर की स्थापना के लिए 33 करोड़ का बजट रखा गया है ।

89. पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के नए मापदंडों के अनुपालन में हसदेव ताप विद्युत संयंत्र की 4 इकाईयों में **फ्ल्यू गैस डीसल्फराइजेशन संयंत्र** की स्थापना हेतु इक्विटी की राशि के लिए 95 करोड़, 40 लाख का प्रावधान है।

90. नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना एवं विकास कार्यों हेतु 371 करोड़, सबके लिए आवास योजना हेतु 595 करोड़, स्मार्ट सिटी योजना के लिए 396 करोड़ एवं अमृत मिशन योजना के लिए 231 करोड़ का प्रावधान है ।

अधोसंचरना विकास

91. उत्कृष्ट अधोसंरचना के अभाव में प्रदेश के समग्र विकास एवं आर्थिक समृद्धि की कल्पना करना भी अधूरा है । सुदूर अंचल के ग्रामों तक पीडीएस का चावल एवं पोलियो टीका पहुंचाने के लिए यदि सड़कों की आवश्यकता है तो वृहद स्तर पर कच्चे माल अथवा तैयार उत्पादों को परिवहन हेतु रेल मार्गों का होना भी आवश्यक है ।

92. लोक निर्माण विभाग द्वारा एडीबी फेस-3 परियोजना के तहत इस वर्ष 3500 करोड़ लागत की 35 नवीन सड़कों के कार्य हेतु 300 करोड़ का बजट में प्रावधान है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

93. प्रदेश की सभी नदियों और नालों पर पुल निर्माण की नवीन योजना जवाहर सेतु योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान है। इसके लिए 438 करोड़ के 102 पुलों का निर्माण प्रारंभ किया जाएगा ।

94. इसके अतिरिक्त नवीन कार्यों के लिए 400 करोड़ का नवीन मद में प्रावधान है। इनमें 1058 किलोमीटर लम्बाई की 261 ग्रामीण सड़कें, 351 किलोमीटर लम्बाई के 30 मुख्य जिला मार्ग, 97 किलोमीटर लम्बाई के 7 राज्य मार्ग तथा 73 किलोमीटर लम्बाई के शहरी मार्गों का निर्माण प्रस्तावित है।

95. परिवहन नेटवर्क (रेलमार्ग) योजना के लिए 317 करोड़ का प्रावधान है। साथ ही 19 करोड़ की लागत के 2 रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण के लिए भी प्रावधान किया गया है ।

96. 11 औद्योगिक क्षेत्र की अधोसंरचना उन्नयन कार्य हेतु 20 करोड़ एवं दुर्ग, सरगुजा एवं जगदलपुर में उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना के लिए 03 करोड़ का नवीन मद में प्रावधान है । इसके अतिरिक्त औद्योगिक इकाईयों को लागत पूंजी अनुदान हेतु 75 करोड़, ब्याज अनुदान हेतु 38 करोड़, स्टार्ट-अप इकाईयों को प्रोत्साहित करने के लिए 5 करोड़ का प्रावधान है ।

97. राज्य के स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जेम के माध्यम से की जाने वाली शासकीय खरीदी को समाप्त कर, सी.एस.आई.डी.सी. के माध्यम से पंजीकृत स्थानीय इकाईयों से क्रय करने का निर्णय लिया है (मेजो की थपथपाहट) । इसके लिए राज्य का पोर्टल विकसित किया जाएगा।

98. प्रदेश में खनन गतिविधियों एवं औद्योगीकरण का वन क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । प्रति वर्ष इसकी प्रतिपूर्ति के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित होते हैं । किंतु रोपित पौधों की आयु छोटी होने के करण एवं देखरेख के अभाव में पौधों के जीवित बच पाने का प्रतिशत बहुत कम होता है । इस समस्या से निपटने तथा वृक्षों के प्रभावी संरक्षण के लिए वन विभाग की नर्सरी में बड़े पौधे तैयार करने के लिए 20 करोड़ प्रावधान किया गया है ।

<u>प्रशासन एवं कानून व्यवस्था</u>

99. प्रदेश में कानून-व्यवस्था को कायम रखते हुए नागरिकों को शांतिपूर्ण जीवन-यापन का अवसर प्रदान करने में पुलिस एवं प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकार लाख नीतियां बनाये या बजट में प्रावधान कर ले लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था यदि उन नीतियों को सही समय पर और सही तरीके से लागू न करे तो सब अनुपयोगी साबित होता है। हमारी सरकार न केवल नीति बनाना जानती है बल्कि उसको पालन करवाने में भी सक्षम है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- रायपुर में रोज डकैती हो रही है, हत्याएं हो रही हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गयी है। रायपुर में हत्या हो रही है। रायपुर में डकैती हो रही है और आप उसको बता नहीं पा रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- आपके विधान सभा क्षेत्र में हरिप्रसाद देवांगन मारा गया। आपका क्षेत्र है।

श्री भूपेश बघेल :-100. हमने लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत् नागरिकों को दी जाने वाली सेवाएं समय-सीमा में उपलब्ध कराने के लिए सख्त निर्देश दिये हैं ताकि जनता को छोटे-मोटे कामों के लिए इधर-उधर भटकना न पड़े।

101. सुशासन को मूर्तरूप देने के लिए नागरिकों को घर पहुंच सरकारी सेवा की सुविधा प्रारंभ की जाएगी। लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त करने एवं सेवाओं के प्रदाय के लिए यथोचित प्रणाली विकसित करने का कार्य चिप्स के माध्यम से किया जाएगा।

102. अल्प एवं मध्यम वर्गीय नागरिकों की सुविधा हेतु 5 डिसमिल से कम के भूखंडों की खरीदी बिक्री एवं पंजीयन पर प्रतिबंध समाप्त किया जा चुका है। माह जनवरी में 6,936 छोटे भूखंडों का पंजीयन किया गया है। इस व्यवस्था से नागरिकों को सुविधा के साथ-साथ राजस्व आय में भी वृद्धि होगी।

103. कानून व्यवस्था में संलग्न अमले के मनोबल को बनाये रखने हेतु प्रोत्साहन एवं पुरस्कार की आवश्यकता से इंकार नहीं किया जा सकता। कानून व्यवस्था एवं जान-माल की रक्षा संबंधी मामलों में त्वरित कार्यवाही करने हेतु पुलिस विभाग में जिला कार्यपालिक बल के आरक्षक से लेकर निरीक्षक स्तर तक के अमले को रिस्पांस भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए बजट में 45 करोड़ 84 लाख का प्रावधान किया गया है।

104. प्राकृतिक अथवा मानवजनित आपदा की स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश में तैनात एस.डी.आर.एफ. के जवानों को मानदेय के 50 प्रतिशत की दर से जोखिम भत्ता दिया जायेगा। इसके लिए 2 करोड़ रूपये का बजट में प्रावधान है।

105. पुलिस बल के विभिन्न शाखाओं में कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए दो हजार नवीन पदों के सृजन का प्रावधान किया गया है।

106. 5 नवीन थाने तथा चौकी का थाने में उन्नयन हेतु 10 करोड़ का प्रावधान है। 5 थानों तथा 20 चौकी भवन के निर्माण हेतु 12 करोड़ 50 लाख का प्रावधान है।

107. रायपुर केन्द्रीय जेल में कैदियों की संख्या तथा जेल भवन के निर्माण हेतु अतिरिक्त स्थान के अभाव को देखते हुए नवीन केन्द्रीय जेल की स्थापना की जायेगी।

108. बिलासपुर में 1 हजार 500 बंदी क्षमता वाली विशेष जेल तथा बेमेतरा में 200 बंदी क्षमता वाली खुली जेल का निर्माण किया जायेगा।

109. न्यायालय भवन एवं आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 140 करोड़ का प्रावधान है।

110. 50 सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 न्यायालय की स्थापना की जायेगी। इसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- (xx)[1]

श्री भूपेश बघेल :- वर्ष 2018-19 का पुनरीक्षित अनुमान...........

श्री अजय चन्द्राकर :- एस.आई.टी. बना रहे हैं, इसीलिए है।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- मान लो इधर के लिए है, तो बेमेतरा में जेल क्यों बनवा रहे हो?

श्री ताम्रध्वज साहू :- खुला जेल। खुला जेल।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह एक तरह से धमकी है, जो असंसदीय है कि आप लोगों के लिए है, ऐसा कहना।

श्री धर्मजीत सिंह :- यहां का है तो निपट लेंगे पर बेमेतरा में आप एडवांस में जेल क्यों बनवा रहे हैं। बेमेतरा तो घर तो है।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह असंसदीय तरीका है है वे ऐसा कहें। एक वरिष्ठ मंत्री हैं। क्या यह मजाक नहीं। आपके संरक्षण में ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं की जा सकती। इसको विलोपित किया जाए कि आप लोगों के लिए है करके। यह अवमानना है सदन के लिए। किस आधार पर कहेंगे वे। ऐसा थोड़ी ना होता है। मजाक में भी ऐसी बात नहीं कही जा सकती।

श्री शिवरतन शर्मा :- दो महीने से यह करने का प्रयास कर रहे हो और जाना आप लोगों को पड़ेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको विलोपित किया जाना चाहिए। बजट भाषण हो रहा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इस सदन के किसी भी सदस्य को इस प्रकार की धमकी देना, यह असंसदीय है।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह आप लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं। क्यों कह देंगे ऐसा। चलिए, अभी खुलवाइए, हम चलते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- कर देंगे।

श्री भूपेश बघेल :- शांत अजय जी शांत।

[1] (XX) अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

वर्ष 2018-19 का पुनरीक्षित अनुमान

111. अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्ष 2018-19 का पुनरीक्षित बजट अनुमान सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

(1) राजस्व प्राप्ति के बजट अनुमान 72 हजार 867 करोड़ की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 74 हजार 28 करोड़ है। व्यय का बजट अनुमान 83 हजार 179 करोड़ से बढ़कर पुनरीक्षित अनुमान 93 हजार 8 करोड़ है।

(2) राजस्व घाटा का पुनरीक्षित अनुमान 6 हजार 342 करोड़ है।

(3) बजट में सकल वित्तीय घाटा 9 हजार 998 करोड़ अनुमानित था। पुनरीक्षित अनुमान में यह बढ़कर 18 हजार 768 करोड़ होगा।

(4) बजट के गैरजरूरी एवं कम महत्व के मदों पर व्यय में कटौती कर के तथा राजस्व के साधनों में वृद्धि करके राजस्व घाटा को कम करना तथा राजकोषीय घाटे को निर्धारित सीमा के भीतर रखने का प्रयास किया जायेगा।

वर्ष 2019-2020 का बजट अनुमान

112. अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान का विवरण सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ।

(1) वर्ष 2019-20 हेतु कुल राजस्व प्राप्तियां 79 हजार 746 करोड़ अनुमानित है। इसमें राज्य का राजस्व 31 हजार 755 करोड़ एवं केन्द्र से प्राप्त होने वाली राशि 47 हजार 991 करोड़ है।

(2) वर्ष 2019-20 के लिए अनुमानित सकल व्यय 95 हजार 899 करोड़ का है। सकल व्यय से ऋणों की अदायगी एवं पुनर्प्राप्तियों को घटाने पर शुद्ध व्यय 90 हजार 909 करोड़ अनुमानित है। राजस्व व्यय 78 हजार 595 करोड़ एवं पूंजीगत व्यय 12 हजार 110 करोड़ है। वर्ष 2019-20 में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 13.32 प्रतिशत है।

(3) प्रदेश में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के विकास के लिए अनुसूचित जनजाति उपयोजना मद में 15 हजार 989 करोड़ एवं अनुसूचित जाति उपयोजना मद में 5 हजार 485 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

(4) वर्ष 2019-20 के बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिए 36 प्रतिशत, आर्थिक क्षेत्र के लिए 44 प्रतिशत एवं सामान्य सेवा क्षेत्र के लिए 20 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

<u>राजकोषीय स्थिति</u>

113. अध्यक्ष महोदय, लगातार बढ़ते आवश्यक राजस्व खर्चों के कारण निश्चित तौर पर इस वर्ष राजस्व व्यय में वृद्धि हुई है, किन्तु गैर जरूरी एवं अनावश्यक मदों पर होने वाली फिज़ूल खर्चों को रोककर हमने इसकी भरपाई करने का पूर्ण प्रयास किया है। परिणामस्वरूप 2019-20 के बजट में 1 हजार 151 करोड़ का राजस्व आधिक्य अनुमानित है।

(1) राज्य का सकल वित्तीय घाटा 10 हजार 881 करोड़ अनुमानित है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.99 प्रतिशत एवं निर्धारित सीमा के भीतर है।

(2) वर्ष 2019-20 हेतु कुल प्राप्तियां 91 हजार 542 करोड़ के विरूद्ध शुद्ध व्यय 90 हजार 909 करोड़ अनुमानित है। इन वित्तीय संव्यवहारों के फलस्वरूप 632 करोड़ की बचत अनुमानित है। वर्ष 2018-19 के संभावित घाटा 5 हजार 344 करोड़ को शामिल करते हुए वर्ष 2019-20 के अंत में 4 हजार 711 करोड़ का बजट घाटा अनुमानित है।

<u>कर प्रस्ताव</u>

114. अध्यक्ष महोदय, 2019-20 के लिए कोई नया कर प्रस्ताव नहीं है।

115. अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की जनता को हमसे अपार अपेक्षायें हैं। उन अपेक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरना ही हमारा लक्ष्य है। बहुत कम समय में ही हमारी सरकार ने कई जन कल्याणकारी निर्णय लेकर जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने का काम किया है। इस बजट के माध्यम से समुचित वित्त व्यवस्था करके हमने अपने निर्णयों का क्रियान्वयन आगे भी जारी रखने का मार्ग प्रशस्त किया है।

116. **"गढ़बो नवा छत्तीसगढ़"** से प्रेरित हमारी सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति और बजट के ठोस प्रावधानों से छत्तीसगढ़ में प्रगति और खुशहाली का एक नया अध्याय आरंभ होगा।

117. इन्हीं शब्दों के साथ वर्ष 2019-20 का वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अनुदान की मांगें सदन के समक्ष प्रस्तुत हैं । (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मुख्यमंत्री जी, आपको पहला बजट प्रस्तुत करने के लिए बहुत-बहुत बधाई ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक का उपस्थापन करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं 11 एवं 12 फरवरी, 2019 की तिथियां आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के लिए नीयत करता हूं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदान की मांगों पर प्रस्तुत किये जाने वाले कटौती प्रस्तावों की सूचना शनिवार, दिनांक 9 फरवरी, 2019 को मध्याहन 12.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है । कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के प्रपत्र सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं ।

घोषणा

नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों को छत्तीसगढ़ विधान सभा की कार्यप्रणाली एवं संसदीय प्रक्रियाओं की जानकारी दिये जाने हेतु प्रबोधन कार्यक्रम

अध्यक्ष महोदय :- पंचम छत्तीसगढ़ विधान सभा के नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों को छत्तीसगढ़ विधान सभा की कार्यप्रणाली एवं संसदीय प्रक्रियाओं की जानकारी दिये जाने हेतु दिनांक 09 एवं 10 फरवरी, 2019 को (दो दिवसीय) **प्रबोधन कार्यक्रम** विधान सभा सचिवालय स्थित समिति कक्ष क्रमांक-1 में प्रातः 11.00 बजे से आयोजित है । इस दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम में देश एवं प्रदेश के संसदविद व्याख्यान देंगे । विस्तृत कार्यक्रम पृथकतः प्रदाय किया जा चुका है । आप समस्त सदस्यों से अनुरोध है कि उक्त प्रबोधन कार्यक्रम में उपस्थित होकर कार्यक्रम से लाभान्वित होंवे ।

सदन को सूचना

प्रजापिता ब्रम्हाकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, शांति सरोवर द्वारा ब्रम्हा भोजन (Lunch) का आयोजन

अध्यक्ष महोदय :- समस्त सम्मानीय सदस्यों हेतु प्रजापिता ब्रम्हाकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, शांति सरोवर, विधान सभा मार्ग, सड्डू, रायपुर द्वारा सोमवार, दिनांक 11 फरवरी, 2019 को दोपहर 1:30 बजे से ब्रम्हा भोजन (Lunch) आयोजित है । पूरा कर लेता हूं....।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, एक मिनट । प्रबोधन में अजय चन्द्राकर जी का तो नाम रखो । ये लोग ठीक से सीखेंगे कैसे ?

अध्यक्ष महोदय :- भाषण देने में उनका नाम है । आप समस्त माननीय सदस्यों से आग्रह है कि दिनांक 11 फरवरी, 2019 को भोजनावकाश हेतु सदन की बैठक स्थगित होने के उपरांत ब्रम्हा भोजन में शामिल होने का कष्ट करें ।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 11 फरवरी, 2019 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित ।

(पूर्वाहन 11:57 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 11 फरवरी, 2019 (माघ 22, 1940) के पूर्वाहन 11:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की गई ।)

रायपुर (छत्तीसगढ़) — **चन्द्र शेखर गंगराड़े**

दिनांक : 08 फरवरी, 2019 — **सचिव**

छत्तीसगढ़ विधान सभा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं